आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :सहारनपुर
वाद सख्या :-RST/71/2017
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T2017096010171
दि मृणालिनी कालेज हरौडा द्वारा संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर अध्यक्ष प्रमोद चौधरी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

18.12.18

आदेश

वाद उपरोक्त में दिनांक 21.11.2017 को अन्तिम आदेश पारित किये गये थे जिसमें ग्राम हरौडा मु0 परगना हरौडा तहसील व जनपद सहारनपुर के खाता संख्या 14 के खसरा नंबर 372 रकबई 0.274हे0 पर संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी पुत्र सुखदा रंजन चौधरी निवासी लक्ष्मण सिंह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर से लगान 9.00 रूपये समाप्त करते हुए भूमि अकृषिक घोषित की गयी थी, जिसके संशोधन हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2018 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कि संस्था का पूरा नाम दि मृणालिनी कालेज हरौडा द्वारा संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी है, लेकिन मूल आदेश दिनांक 21.11.2017 में प्रार्थी की संस्था का नाम मृणलिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर अध्यक्ष प्रमोद चौधरी पुत्र सुखदा रंजन चौधरी निवासी लक्ष्मण सिंह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर घोषित किया गया था, जबकि आदेश में प्रार्थी की संस्था दि मृणालिनी कालेज हरौडा द्वारा संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी है, दर्ज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि सहवन गलती से प्रार्थी के संस्था का पूरा नाम दि मृणालिनी कालेज हरौडा द्वारा संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिनांक 21.11.2017 में दर्ज प्रार्थी की संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी पुत्र सुखदा रंजन चौधरी निवासी लक्ष्मण सिंह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर के स्थान पर दि मृणालिनी कालेज हरौडा द्वारा संचालित संस्था मृणालिनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी किया जाता है। यह संशोधित आदेश मूल आदेश दिनांक 21.11.2017 का अंग होगा।

दिनांक: 18.12.2018

उपजिलाधिकारी
सदर,सहारनपुर।

प्रार्थना पत्र सं० 106
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 20-12-18
नकल जारी करने का दिनांक 20-12-18
नकल नोटिस का दिनांक 20-12-18
नकल स्टाम्प शुल्क 03 / 13-00
नकल प्रतिलिपि सं० 250 लगभग

सत्य प्रतिलिपि
20-12-18

Cf 03
13-00

न्यायालय उपजिलाधिकारी सहारनपुर ।

वाद सं0 02 /06-07 धारा:- 143 ज0वि0अ0

प्रमोद कुमार चौधरी बनाम सरकार ।

मौ0 हरौड़ा मु0 परगना हरौड़ा तहसील व जि0 सहारनपुर।

आदेश दि0 01-10-07

========

श्री प्रमोद कुमार चौधरी, चेयरमैन मृणालिनी कालेज ग्राम हरौड़ा परगना हरौड़ा तहसील व जि0 सहारनपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार सदर से जांच आख्या मंगाई गयी । तहसीलदार सदर की जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद किया गया । तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या में बताया कि ग्राम हरौड़ा मु0 के खाता सं0 117 ख0नं0 371 मि0/0-249 है0 पर मृणालिनि शिक्षा प्रसार समिति 137 काजमी काम्पलेक्स अम्बाला रोड़ सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी एडवोकेट पुत्र एस0आर0 चौधरी नि0 लक्ष्मण कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर द्वारा महासचिव सन्तोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र एस0एन0लाल श्रीवास्तव नि0 लक्ष्मण सिंह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है । विवादित नम्बर में मौके पर मृणालिनि बी0एड0 कालेज का निर्माण किया जा रहा है, कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । अन्त में भूराजस्व समाप्त कर भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार सदर की आख्या से विदित है, विवादित नम्बर में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि मृणालिनि बी0एड0 कालेज का निर्माण किया जा रहा है । अत: तहसीलदार सदर की आख्या दि0 13-8-07 स्वीकार की जाती है । ग्राम हरौड़ा मु0 के खाता सं0 117 ख0नं0 371 मि0/0-249 है0 मृणालिनि शिक्षा प्रसार समिति 137 काजमी काम्पलेक्स अम्बाला रोड़ सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष प्रमोद चौधरी एड0 पुत्र एस0आर0चौधरी नि0 लक्ष्मण कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर द्वारा महासचिव सन्तोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र एस0एन0लाल श्रीवास्तव नि0 लक्ष्मण सिंह कालोनी मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर से लगान 9-60 पैसे समाप्त करते हुये भूमि अकृषिक घोषित की जाती है । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे । पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जाये ।

दिनांक 01-10-2007

उपजिलाधिकारी

नकल प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

04/X/07